



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102021-230603
CG-DL-E-22102021-230603

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4031]
No. 4031]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 21, 2021/ आश्विन 29, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 21, 2021/ ASVINA 29, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4382(अ).—तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) (इसके बाद इसे अधिनियम कहा गया है) की धारा 6ए की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की अनुसूची में आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :-

तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 की अनुसूची में
अनुसूची में

(i) नोट 1 के खंड (1) के लिए निम्नलिखित पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

“(1) नामांकन ब्लॉकों के लिए कच्चे तेल और केसिंग हैड कंडेनसेट के कूप शीर्ष मूल्य का निर्धारण कच्चे तेल और केसिंग हैड कंडेनसेट के विक्री मूल्य से निम्नलिखित कटौतियां करके किया जाएगा :

(क) ऑयल और नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड के मामले में :

- अभितट के लिए तीन हजार नौ सौ पचपन रुपए प्रति मीट्रिक टन, और
- अपतट के लिए दो हजार दो सौ छब्बीस रुपए प्रति मीट्रिक टन

(ख) ऑयल इंडिया लिमिटेड के मामले में, दो हजार आठ सौ अट्हाईस रुपए प्रति मीट्रिक टन”

(ii) नोट 1 के खंड (2) में “1 अप्रैल, 2007” अंकों, अक्षरों, शब्द को “1 अप्रैल, 2021” अंकों, अक्षरों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 11023/1/2020-ओएनजी-1 (ई-33879)]

अरविंद नाथ झा, उप सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन : प्रस्ताव है कि दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से रॉयल्टी के परिकलन में परिवर्तन किए जाएं और यह प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूची में संशोधन के माध्यम से भूतलक्षी प्रभाव से परिवर्तन करने पर कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो रहा है।

नोट :- तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) की अनुसूची को 1969 के अधिनियम संख्या 39 द्वारा शामिल किया गया था और अधिसूचना संख्या सां.आ. 465, दिनांक 3 फरवरी, 1973, सां.आ. 219(अ), दिनांक 26 मार्च, 1981, सां.आ. 107(अ), दिनांक 18 फरवरी, 1991, सां.आ. 91(ई), दिनांक 5 फरवरी, 1993, सां.आ. 666(अ), दिनांक 12 सितम्बर, 1994, सा. सां. नि. 814(अ), दिनांक 16 दिसम्बर, 2004, सा. सां. नि. 559(अ), दिनांक 20 अगस्त, 2007, सा. सां. नि. 615(अ), दिनांक 28 अगस्त, 2009, सां.आ. 173(ई), दिनांक 15 जनवरी, 2016, सां.आ. 367(अ), दिनांक 14 जनवरी, 2019 और सां.आ. 1597 (अ), दिनांक 11 अप्रैल, 2019 द्वारा संशोधित किया गया है।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2021

S.O. 4382(E).—In exercise of the powers conferred by sub –section (4) of section 6A of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) (referred to as “Act” hereinafter), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend THE SCHEDULE to the said Act, namely:—

In THE SCHEDULE to the Oilfields (Regulation and Development) Act 1948 in THE SCHEDULE, -

(i) for clause (1) in Note 1, the following paragraph shall be substituted namely:

“ (1) The well head price of crude oil and casing head condensate for nominated blocks shall be determined by making the following deductions from the sale price of crude oil and casing head condensate :

(a) in case of Oil and Natural Gas Corporation Limited:

- i. three thousand nine hundred and fifty – five rupees per metric tonne for Onshore., and
- ii. two thousand two hundred and twenty – six rupees per metric tonne for Offshore.

(b) in case of Oil India Limited, two thousand eight hundred and twenty eight rupees per metric tonne.”

(ii) in clause (2) of Note 1, for the figures, letters, word “1st April, 2007” the figures, letters, “1st April, 2021” shall be substituted.

[F. No. 11023/1/2020- ONG-I (E- 33879)]

ARVIND NATH JHA, Dy. Secy.

Explanatory memorandum: It is proposed to effect the changes in the computation of royalty from 1st April, 2021 and it is certified that no person is being adversely affected by granting retrospective effect through the amendment of THE SCHEDULE.

Note :- The Scheduled to the Oilfieds (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) was inserted vide Act No. 39 of 1969 and has been amended vide notification number S.O 465, dated 3rd February, 1973, S.O. 219(E), dated the 26th March, 1981, S.O. 107(E), dated 18th February, 1991, S.O 91(E), dated 5th February, 1993, S.O 666 (E), dated 12th September, 1994, G.S.R. 814 (E), dated 16th December, 2004 G.S.R. 559 (E) dated 20th August, 2007, G.S.R. 615(E), dated 28th August, 2009, S.O. 173(E) dated the 15th January, 2016, S.O. 367(E), dated the 14th January, 2019 and S.O 1597(E) dated 11th April 2019.